

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
आयकर भवन, रवींद्र पथ, हजारीबाग।

आयकर अधिनियम की धारा ८० (छ) (5) (V) के अधीन

आ दे श
हजारीबाग, दिनांक २९वीं. मार्च, २०१२

"युवा (यूथ्स यूनियन फॉर भोलेन्टरी एक्शन)", मकान सं.-६६, हुरहुरु पश्चिम, माही फर्नीचर के सामने, हजारीबाग को आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०-छ के अधीन एतद् द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है। आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०-छ के अन्तर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन संस्था को दिए गए दान दाताओं के पक्ष में छूट के लिए पात्र होंगे।

२. यह मान्यता प्रमाण पत्र निर्धारण वर्ष २०१२-१३, २०१३-१४ एवं २०१४-१५ के लिए वैध है।

ह/-

[पी. के. बजाज]

आयकर आयुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापन सं.आ.आ/हजा/८०छ-१३/२०११-१२/

882-84

दिनांक, हजारीबाग २९वीं. मार्च, २०१२

रजक

प्रतिलिपि प्रेषित :-

१. सचिव, युवा (यूथ्स यूनियन फॉर भोलेन्टरी एक्शन)", मकान सं.-६६, हुरहुरु पश्चिम, माही फर्नीचर के सामने, हजारीबाग।
२. संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - २, हजारीबाग।
३. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल - २, हजारीबाग।



[बिजेन्द्र रजक]

आयकर अधिकारी, मु. (तक.)

कृते: आयकर आयुक्त, हजारीबाग।